न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

अपील / 8 / 2016

भारतीय खाद्य निगम क्षेत्र प्रबन्धक कम प्रभारी अधिकारी भारतीय खाद्य निगम अलवर (राज0)

....अपीलान्ट

बनाम

1–नगर निगम भरतपुर जरिये अध्यक्ष, नगर निगम भरतपुर
2–आयुक्त नगर निगम, भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर
3–राजस्व अधिकारी, नगर निगम भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 121 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 व नाराजगी बिल आदेश आयुक्त नगर निगम भरतपुर दिनांक 14.1.2016 एव आदेश राजस्व अधिकारी नगर निगम भरतपुर दिनांक 15–2–2016 बाबत निर्धारण किये जाने नगरीय कर गोदाम व भूमि भवन एफ.सी.आई. भरतपुर संग्रहालय वतायुन 4158945 / – रुपये

उपस्थित :–
1–श्री देवेन्द्रनाथ गुप्ता , अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री विजयसिंह फोजदार, अभिभाषक रेस्पो.

आदेश दिनांक 23.1.2018

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व रेस्पो. इस आश्य की पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो. द्वारा अपीलान्ट को विवादित 6 डिमाण्ड नोटिस दिनांक 14.1.2016 दिये गये, जिसकी उज्रदारी दिनांक 22.1.2016 एवं दिनांक 29.1.2016 का रिमाइन्डर रेस्पो को दिये गये। नगर निगम रेस्पो द्वारा अपीलार्थी की उज्रदारी पर कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया एवं रेस्पो. न.3 ने अपने आदेश दिनांक 15.2.2016 के द्वारा अपीलान्ट की उज्रदारियों को निरस्त करते हुए 15 दिन के अन्दर राशि जमा कराने अन्यथा कुर्की वांरट जारी किये गये। अपीलान्ट ने कर निर्धारण कार्यवाही व डिमान्ड नोटिस निरस्त कराये जाने हेतु यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

.....2

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार का सार्वजनिक सैक्टर अन्डरटेकिंग का उपक्रम है जो बिना किसी लाभ हानि के भारत सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित किये जाने तथा सार्वजनिक प्रणाली को सुचारु रुप से संचालन हेतु खाद्यान्न संग्रहण वितरण का कार्य करता है। यह उपक्रम वाणिज्यिक संस्था की परिसीमा में नहीं आता है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि रेस्पो को अपीलान्ट की संस्था पर अपीलान्ट के निर्मित गोदाम वाणिज्यिक भवनों की परिसीमा में नहीं आते है। अपीलान्ट के गोदाम सन् 1980 से पूर्व से निर्मित किये हुए हैं रेस्पो द्वारा कर निर्धारण की इकतरफा कार्यवाही की गई है वह अवैध व म्याद बाहर होने से काबिल निरस्ती के है। नगरीय उपकर लगाने को संवैधानिक अधिकार नहीं है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि रेस्पो अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अधिसूचना का गजट नोटिफिकेसन नहीं होने से इसे अधिसूचना नहीं माना जा सकता है। योग्य अभिभाषक ने हमारा ध्यान ए.आई.आर.1968 पेज 859 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि स्वायत शासन विभाग राज. जयपुर के परिपत्र के अनुसार वर्ष 2007–2008 से नगरी विकास कर निर्धारण अपीलान्ट को राशि जमा कराये जाने हेतु दिनांक 14.1.2016 एवं दिनांक 15.2.16 आदेशित किया गया है। उनका कहना है कि उक्त कर निर्धारण भूमि के क्षेत्रफल पर औधोगिक डीलएलसी दर से किया गया है। नगर निगम ने विधिवत मांग पत्र अपीलान्ट को दिया गया है। जो अपीलान्ट पर तामील हुआ है। योग्य अभिभाषक नगर निगम ने हमारा ध्यान स्वायत्त शासन विभाग,राज. जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 8(ग)(327)नियम / स्वाशा / 1995 / 2213 दिनांक 29.8.2007 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। तहत पत्रावलीयों के अवलोकन से जाहिर कि नगर निगम द्वारा जारी मांग पर अपीलान्ट पर तामिल हुये हैं जो तहत पत्रावलीयों में शामिल हैं। अपीलान्ट का यह कहना है कि भारतीय खाद्य निगम निर्मित गोदाम वाणिज्यिक भवन कर की परिसीमा में नहीं आता है। इस सम्बन्ध में स्वायत्त शासन विभाग,राज. जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)(327)नियम / स्वाशा / 1995 / 2213 दिनांक 29.8.2007 में अन्य संस्थाओं के साथ यह उल्लेख भी किया गया है कि :–

"..... केन्द्र सरकार की व्यावसायिक उपयोग में आ रही
सम्पत्तियों पर भी कर लागू होगा..... ।"

इससे से स्पष्ट है कि अपीलान्ट पर किया गया कर निर्धारण अपीलाधीन मांग पत्र आदेश सही है, जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

.....3

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ नगर निगम से प्राप्त तहत पत्रावलीयों को वापिस लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23–01–2018 को सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official